न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 26/2018-19

सालो देवी पति श्री दुर्गा साहु – **अपीलकर्त्ता**
ग्राम–डहुगुटू पिपराटोली, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।

बनाम्

अंचल अधिकारी, रनियाँ। – **विपक्षी**

	आदेश	
24.06.19	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–58R27/17-18 में अंचल अधिकारी, रनियाँ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.18 के विरूद्ध दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–	

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
हारासुकु	रनियाँ 146	50	179	0.16

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, रनियाँ के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में Admit किया गया। आवेदक कथन करते है कि उन्होने उपरोक्त भूमि पंजीकृत बिक्री केवाला सं0 6956 दिनांक 27.06.1985 से क्रय की है। उपरोक्त केवाला पट्टा के निष्पादनकर्त्ता शिवशंकर लालू लाल पिता भूपलाल है।

आवेदक/अपीलेंट पुनः कथन करते है कि अंचल अधिकारी, रनियाँ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.18 तथ्य एवं विधि विरूध है। अंचल अधिकारी, रनियाँ ने आवेदक को सुने बिना अस्वीकृत कर दिया न्याय संगत नहीं है।

अंचल अधिकारी, रनियाँ ने हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता स्वंय पंजी–II रैयत है। आवेदित जमीन पर आवेदक का दखल कब्जा नही है। नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

आवेदित भूमि पर वर्त्तमान दखल कब्जा से संबंधित प्रतिवेदन का मांग अंचल अधिकारी, रनियाँ से किया गया है। अंचल अधिकारी, रनियाँ का पत्रांक 404 दिनांक 27.11.18 के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि पर श्री महेश्वर लाल वैगराह पिता स्व0 लालु लाल ग्राम– हारासुकु थाना– रनियाँ का दखल कब्जा बताया गया। चूंकि ओवदित भूमि पर आपीलकर्त्ता का दखल कब्जा नहीं है। भूमि का नामांतरण में दखल कब्जा मुख्य बिन्दु होता है। अतः अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

24/06/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

24/06/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।